

1506  
21/12/18  
21/12/18  
सेवा में,

दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त कार्यालय,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक:- IX-156/2018 (Part) /रा०

महालेखाकार (ले० एवं हक०)  
जमशेदपुर, पो० टिन्डू, राँची।

- विषय:- जमशेदपुर, दिनांक- वीं दिसम्बर 2018  
पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर अंचलान्तर्गत मौजा अधिसूचित क्षेत्र जमशेदपुर, वार्ड नं० 17, खाता नं० 55, कुल रकवा 19.47.02 हे० या 48.11 एकड़ (खाता, प्लॉट रकवा की विस्तृत संलग्न अनुलग्नक-1) अनावाद विहार (झारखंड) सरकार की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार को निःशुल्क हस्तांतरण के संबंध में।
- आदेश:- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड, राँची के संकल्प संख्या 5504/रा०, दिनांक 07.10.2016 के अंतर्गत स्वीकृत।
2. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तांतरित की जा रही है, उस प्रयोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रयोजन हेतु उसका उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।
  3. विभाग द्वारा उक्त हस्तांतरित भूमि किसी भी संस्था/निजी व्यक्ति/कॉरपोरेट सोसाइटी/कंपनी/अन्य किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरण अथवा लीज पर नहीं दिया जायेगा।
  4. अन्य/सभी शर्तें झारखंड खासमहल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

१०/-

उपायुक्त,

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक:- IX-156/2018 (Part) / रा०, जमशेदपुर, दिनांक .....वी, दिसम्बर 2018.

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर को उनके पत्रांक 1607/रा०, दिनांक 06.12.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2. विषय से संबंधित अभिलेख संख्या 15/2018-19 इसके साथ संलग्न कर मूल रूप में वापस किया जाता है।

१०/-

उपायुक्त,

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक:- IX-156/2018 (Part) 12945/रा०, जमशेदपुर, दिनांक 17...वी, दिसम्बर 2018.  
प्रतिलिपि:- विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, जमशेदपुर को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर  
(राजस्व शाखा)

सेवा में,

पत्रांक:- XXVIII-44 /2013/

/रा०,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
झारखण्ड, पो० हिन्डू रॉबी।

जमशेदपुर, दिनांक- 01 जनवरी 2017 ई०

- विषय: पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर अंतर्गत गौजा अधिसूचित क्षेत्र, जमशेदपुर सार्ड नं०- 17, खाता नं०- 55, प्लॉट नं०- 912, 4191, 4265 तथा 4273, एकदा मंगला- 5.00, 0.50, 0.56 तथा 0.25 एकड़ कुल रकबा- 6.31 एकड़ किसम जमीन परती, पुरानी, परती अनावाद विहार (झारखण्ड) सरकार की भूमि पर वी०ए०ए०ए० योजनान्तर्गत शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में।
- आदेश : राजस्व, निबंधन एवं भूमि भूनि सुधार विभाग, झारखण्ड, रॉबी के संकल्प संख्या- 5504/रा०, दिनांक- 07.10.2016 के अंतर्गत स्वीकृत।
2. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तांतरित की जा रही है, उस प्रयोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रयोजन हेतु उसका उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
  3. विभाग द्वारा उक्त हस्तांतरित भूमि किसी भी संस्था/निजी व्यक्ति/कॉरपोरेट संसाइटी/कंपनी/अन्य किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरण अथवा लीज पर नहीं दिया जायगा।
  4. अन्य/सभी शर्तें झारखण्ड खासमहल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप लागू होंगी।

उपायुक्त के आदेश से।

ह०/-

अपर उपायुक्त,

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

ज्ञापांक :- XXVIII-44/2013/ 30 /रा०, जमशेदपुर, दिनांक-04 01 जनवरी 2017 ई०।

प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर को उनके पत्रांक 02/रा०, दिनांक- 02.01.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विषय से संबंधित अभिलेख संख्या- .13/2016-17 इसके साथ संलग्न कर मूल रूप में वापस किया जाता है।

प्रतिलिपि - विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर उपायुक्त,

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।